फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर

राजेन्द्र सिंह व अन्य बनाम अनिता टण्डन व अन्य

किस्म मुकदमा : अन्तर्गत धारा 53, 188 एवं 92(ए) आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 06 /2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.01.2026	वादीगण ने यह वाद जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 53, 188 एवं 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया है। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.03.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर आज दिनांक 12/3/26 को जिला/राजस्व बार एसोसिएशन [illegible] कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली [illegible] की बजाय में दिनांक 30/3/26 को पेश हो। आदेशानुसार न्यायालय पेशकार (रीडर) सहायक कलक्टर(मु.) अजमेर दिनांक 30/3/26 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष आज समय चाहते है। मिसल दिनांक 24/4/26 को वास्ते [illegible] पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर 24/4/26 उभयपक्ष में से केवल प्रतिवादी [illegible] वादी एवं उनके अधिवक्ता को कई-कई बार अधिवक्ता बाबजे लगवाई गई बावजूद अधिवक्ता के ना तो वादी एवं ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतः वादी का वाद अस्थायी अस्थायी पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फिसल शुमार होकर बंबार से दर्ज हो एवं संग्रह अण्डार हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	